

प्रेषक,

निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

उप सचिव,
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांक 55/कैम्प/उ0नि0(4)/नियोजन/विविध/2021-22

दिनांक: 14 सितम्बर, 2021

विषय:- वार्षिक कार्य समय-सारिणी (Annual Work Calander) तैयार किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1197/सात-3-21/19(32)-
एमएसएमई/2017टीसी दिनांक 7 सितम्बर, 2021 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा
वार्षिक कार्य समय-सारिणी (Annual Work Calander) तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश
हैं।

अतः शासन के उक्त पत्र के क्रम में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की वार्षिक
कार्य समय-सारिणी (Annual Work Calander) इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा
रही है।

संलग्नक-उपरोक्त।

भवदीय,



(सुधीर चन्द्र नौटियाल)
निदेशक उद्योग।

वार्षिक कार्य समय-सारिणी

1-विभाग द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनायें:

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	माह अप्रैल में लक्ष्य निर्धारण व जनपदों को सूचित करना।	माह जून तक लक्ष्य के 30 प्रतिशत आवेदन बैंकों को प्रेषित किया जाना।	माह जून तक लक्ष्य के 20 प्रतिशत आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत करना।	माह जून तक लक्ष्य के 15 प्रतिशत वितरित करना।	माह सितम्बर तक लक्ष्य के 70 प्रतिशत आवेदन बैंकों को प्रेषित किया जाना।	माह सितम्बर तक लक्ष्य के 50 प्रतिशत आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत करना।	माह सितम्बर तक लक्ष्य के 30 प्रतिशत वितरित करना।	माह नवम्बर तक लक्ष्य के 150 प्रतिशत आवेदन बैंकों को प्रेषित किया जाना।	माह नवम्बर तक लक्ष्य के 100 प्रतिशत आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत करना।	माह नवम्बर तक लक्ष्य के सापेक्ष 60 प्रतिशत वितरित करना।	माह दिसम्बर तक लक्ष्य के सापेक्ष 100 प्रतिशत वितरित करना।
	लक्ष्य भारत सरकार से निर्धारित होते हैं।	माह जून तक लक्ष्य के 30 प्रतिशत आवेदन बैंकों को प्रेषित किया जाना।	माह जून तक लक्ष्य के 20 प्रतिशत आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत करना।	माह जून तक लक्ष्य के 15 प्रतिशत वितरित करना।	माह सितम्बर तक लक्ष्य के 70 प्रतिशत आवेदन बैंकों को प्रेषित किया जाना।	माह सितम्बर तक लक्ष्य के 50 प्रतिशत आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत करना।	माह सितम्बर तक लक्ष्य के 30 प्रतिशत वितरित करना।	माह नवम्बर तक लक्ष्य के 150 प्रतिशत आवेदन बैंकों को प्रेषित किया जाना।	माह नवम्बर तक लक्ष्य के 100 प्रतिशत आवेदन बैंकों द्वारा स्वीकृत करना।	माह नवम्बर तक लक्ष्य के सापेक्ष 60 प्रतिशत वितरित करना।	माह दिसम्बर तक लक्ष्य के सापेक्ष 100 प्रतिशत वितरित करना।

2-विभाग द्वारा संचालित विभिन्न नीतियों के अधीन प्राप्त दावों का निस्तारण:

एमएसएमई नीति	दावा प्राप्त होने के एक माह के भीतर समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना।	स्वीकृत दावों के सापेक्ष प्राप्त बजट 15 दिनों में लाभार्थी के खाते में भेजना
--------------	--	--

3-एकल खिड़की व्यवस्था के अधीन प्राप्त प्रस्ताव:

सिंगल विण्डो एक्ट के ब्यवस्थानुसार निस्तारण।

(Handwritten mark)